



330
19.8.15



रामसुधील शर्मा आत्मज स्व. बैयनाथ प्रसाद शर्मा उम्री लगभग 49 वर्ष
पैसा वकालत नि०ग्राम घुरेहटा बार्ड क० 10 थाना व तहसील मऊगंज
पत्रालय मऊगंज, जिला रीवा म०प० ----- निगराकार,
बनाम

- 1- श्री हरिभजन तिवारी आत्मज स्व. जगन्नाथ प्रसाद तिवारी उम्री लगभग 62 वर्ष ।
- 2- श्रीमती प्रतिमा तिवारी धर्म पत्नी श्री हरिभजन तिवारी उम्री लगभग 56 वर्ष -दोनों निवासीग्राम घुरेहटा बार्ड क्रमांक 10 थाना व तहसील एवं पत्रालय मऊगंज जिला रीवा म०प०
- 3- शासन म०प० ----- गैरनिगराकारगण

निगरानी आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 50
म०प० भू-रा०सी० 1959 ई०

निगरानी बिरुद्ध आदेश न्यायालयश्रीमान्
अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा म०प०
द्वारा ५०क०/६३।निग०/१०-११ आदेश दिनांक
०४-०८-२०१५ चार अगस्त दो हजार पन्द्रह


श्री. रामसुधील शर्मा द्वारा कानून विचार प्रस्तुत किया गया।
19.8.15
हैडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

॥ अ॥- यह कि न्यायालय श्रीमान् अपर क्लेक्टर महोदय, रीवा के निग० ५०क०/४०८/अ-५/०७-०८ में पारित आदेश दिनांक १५-०४-०११ के बिरुद्ध गैर निगराकार क० एक एवं दो के द्वारा दिनांक ०१-०७-०११ को न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा सम्भाग रीवा के समक्ष द्वितीय निगरानी छद्म बतौर चुनौती दिये जो कि ५०क०/६३।निग०/१०-११ में पंजीकृत होकर दिनांक १६-०६-०१४ को अदम पैरवी में -

M

R- 2921-II/15 दिना - 17/11



21-3-17

आवेक आवेक के सामुहिक लेख
 आवेक आवेक के द्वारा प्रकरण आवेक के
 आवेक आवेक के आवेक आवेक आवेक आवेक
 आवेक आवेक के आवेक आवेक आवेक आवेक
 आवेक आवेक के आवेक आवेक आवेक आवेक
 आवेक आवेक के आवेक आवेक आवेक आवेक

दिनांक
 आवेक
 आवेक